कार्यालय-अधिशासी अभियन्ता,ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,प्रखण्ड-बागपत।

पत्रांकः- 1444/ग्रा0अ0वि0/निविदा पत्रा0/2017-18/दिनांकः 16.11.2017

अल्पकालीन ई-प्रोक्योरमेन्ट निविदा सूचना

1. महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश की ओर से अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रखण्ड बागपत द्वारा निम्नलिखित कार्यों की प्रतिशत दर ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। उक्त कार्यों के लिये ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग में क्लास "ए, बी, सी व डी" मार्ग/भवन श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार ही निविदा डालने योग्य होंगे। निविदादाता किसी एक अथवा समस्त कार्य की निविदा डाल सकता है। निविदादाता से अपेक्षा की जाती है, कि निविदा डालने से पूर्व निविदा प्रपत्र के क्लॉज सं0-3 में अंकित न्यूनतम अर्हता के सम्बन्ध में शर्तों का भली-भाँति अध्ययन कर लें।

क्र0 सं0	जनपद का नाम	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाखमें)	धरोहर धनराशि (अग्रिम धन)	निविदा प्रपत्र का मूल्य स्टेशनरी चार्ज सहित	कार्य पूर्ण करने की अवधि	कार्यालय अधि0अभि0 का पता	कार्यालय अधी0 अभि0 का पता	कार्यालय जिलाधिकारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	बागपत	ग्राम बुढपुर में कश्यपों के मौहल्ले से शमशान घाट तक खडण्जा कार्य (वि0खं0-छपरौली)	7.90	40000.00	500+225+GST=758.00	3 माह	अधि0अभि0, ग्रा0अ0वि0 बागपत	अधी0अभि0, ग्रा0अ0वि0,मेरठ	जिलाधिकारी बागपत
2	बागपत	जिलाबार एसोसिऐशन बागपत में पुस्ताकालय का निर्माण कार्य (वि0 ख0 बागपत)	10.85	55000.00	500+225+GST=758.00	3 माह	अधि0अभि0, ग्रा0अ0वि0 बागपत	अधी0अभि0, ग्रा0अ0वि0,मेरठ	जिलाधिकारी बागपत
3	बागपत	पुरामहादेव में यात्री शैड का निर्माण कार्य (वि0खं0-पिलाना)	1.40	7000.00	500+50+GST=558.00	3 माह	अधि0अभि0, ग्रा0अ0वि0 बागपत	अधी0अभि0, ग्रा0अ0वि0,मेरठ	जिलाधिकारी बागपत
4	बागपत	ग्राम डौलचा में शमशान घाट तक खडण्जा कार्य (वि0ख0 पिलाना)	11.45	60000.00	500+225+GST=758.00	3 माह	अधि0अभि0, ग्रा0अ0वि0 बागपत	अधी0अभि0, ग्रा0अ0वि0,मेरठ	जिलाधिकारी बागपत
5	बागपत	ग्राम रोशनगढ में डैयरी से मेरठ बागपत मार्ग तक खडण्जा कार्य (वि0ख0 पिलाना)	11.70	60000.00	500+225+GST=758.00	3 माह	अधि0अभि0, ग्रा0अ0वि0 बागपत	अधी0अभि0, ग्रा0अ0वि0,मेरठ	जिलाधिकारी बागपत
6	बागपत	ग्राम नंगला रवा में धर्मपाल पुत्र रामदास के खेत से स्वास्थ केन्द्र तक खडण्जा निर्माण कार्य (वि0खं0-बिनौली)	4.36	25000.00	500+150+GST=672.00	3 माह	अधि0अभि0, ग्रा0अ0वि0 बागपत	अधी0अभि0, ग्रा0अ0वि0,मेरठ	जिलाधिकारी बागपत
7	बागपत	ग्राम बढका में सुरेश मुखिया के मकान से चन्द्र मुखिया के मकान तक इण्टरलॉकिंग कार्य (वि0खं0-बडौत)	3.51	18000.00	500+150+GST=672.00	3 माह	अधि0अभि0, ग्रा0अ0वि0 बागपत	अधी0अभि0, ग्रा0अ0वि0,मेरठ	जिलाधिकारी बागपत
8	बागपत	खट्टा प्रहलादपुर में काले सिंह बाबा धाम से रजवाहे तक खडण्जा कार्य (वि0खं0-पिलाना)	2.17	11000.00	500+75+GST=586.00	3 माह	अधि0अभि0, ग्रा0अ0वि0 बागपत	अधी0अभि0, ग्रा0अ0वि0,मेरठ	जिलाधिकारी बागपत
9	बागपत	ग्राम बावली में बिट्टू के खेत से बाबा मोहनदास के मन्दिर तक खडण्जा कार्य (वि0खं0-बडौत)	4.10	20500.00	500+150+GST=672.00	3 माह	अधि0अभि0, ग्रा0अ0वि0 बागपत	अधी0अभि0, ग्रा0अ0वि0,मेरठ	जिलाधिकारी बागपत
10	बागपत	जिलाधिकारी बागपत शिविर कार्यालय की टूटी दीवार का निर्माण कार्य (राजस्व विभाग) (वि0खं0-बागपत)	1.84	10000.00	500+75+GST=586.00	3 माह	अधि0अभि0, ग्रा0अ0वि0 बागपत	अधी0अभि0, ग्रा0अ0वि0,मेरठ	जिलाधिकारी बागपत
11	बागपत	जिला करागार, अब्दुलापुर, बागपत में बंदियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु चिलिंग व वाटर आर0ओ प्लांट का कार्य (400 लीटर) (वि0ख0 खेकडा)	1.40	7000.00	500+50+GST=558.00	2 माह	अधि0अभि0, ग्रा0अ0वि0 बागपत	अधी0अभि0, ग्रा0अ0वि0,मेरठ	जिलाधिकारी बागपत

2. **क्रमांक 6 के अनुसार निविदा शुल्क केवल भारतीय स्टेट बैंक से निर्गत बैंक ड्राफ्ट के रूप में ही स्वीकार किया जायेगा।**
3. प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने की समयवधि वर्षाऋतु को शामिल करते हुए कॉलम न0 7 में अंकित है।
4. निविदा की वैधता निविदा प्राप्ति के दिन से 90 दिन के लिए होगी। वैधता की अवधि में निविदा को वापस नहीं लिया जा सकेगा।
5. प्रत्येक निविदा के साथ कॉलम सं0 6 में अंकित निविदा का मूल्य ही मान्य होगा, जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत डिमान्ड ड्राफ्ट के रूप में, उपरोक्त धनराशि के लिये अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग बागपत के पक्ष में देय हो, संलग्न करना अनिवार्य है। इच्छुक निविदादाता अधिक जानकारी कॉलम संख्या 8, 9 एवं 10 में अंकित कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं। निविदा प्रपत्र विभागीय वेबसाईट **http://etender.up.nic.in से दिनांक 05.12.2017 प्रातः 10.00 बजे से दिनांक 08.12.2017 सांय 4:00 बजे तक डाउनलोड की जा सकती है।**
6. निविदा डालने हेतु निविदादाता को उपरोक्त वेबसाईट पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। निविदा डालने हेतु निविदादाता के पास किसी डिजिटिल सिग्नेचर सर्टीफिकेट सर्टीफाईंग प्रधिकरण द्वारा जारी डिजिटल सिग्नेचर सर्टीफिकेट होना अनिवार्य है। इसके न होने पर निविदा डालना सम्भव नहीं होगा।
7. प्रीबिड बैठक **दिनांक 05.12.2017 को 10.00 बजे** अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग बागपत कार्यालय में आयोजित की जायेगी, जिसमें कार्य से सम्बन्धित समस्त जानकारियाँ प्राप्त की जा सकती हैं।
8. ई-टेन्डरिंग के माध्यम से ऑनलाईन निविदा वेबसाईट **http://etender.up.nic.in** पर सबमिट करने की **अन्तिम तिथि 08.12.2017 एवं समय सांय 5:00 बजे तक** है तथा **टेक्निकल क्वालीफिकेशन पार्ट दिनांक 12.12.2017 को अपरान्ह 12:30 बजे कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग बागपत में खोला जायेगा।** यदि किसी कारण वश निविदा खोलने की तिथि को कार्यालय बन्द होता है तो उक्त निविदा अगले कार्य दिवस में ऑनलाईन खोली जायेगी तथा निविदा खोलने का समय तथा वैधता पूर्ववत् होगा। ऑनलाईन फाईनेन्शियल बिड खोलने हेतु समय एवं तिथि वेबसाईट पर बाद में दर्शाई जायेगी।
9. निविदादाता द्वारा प्रत्येक निविदा के साथ निम्नांकित प्रपत्र अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग बागपत के कार्यालय में **दिनांक 12.12.2017 दोपहर 12.00 बजे**

शेष पृष्ठ - '2' पर

तक पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध कराना अनिवार्य है। ऐसा न किये जाने की दशा में निविदा नॉन रिस्पॉन्सिव घोषित कर दी जायेगी। डाक में हुई देरी के लिये निविदा आमंत्रणकर्ता/विभाग किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होंगे।

(1). निविदा मूल्य सम्बन्धित मूल डिमांड ड्राफ्ट।

(2). धरोहर धनराशि निविदा प्रपत्र (बिडिंग डाक्यूमेंट) में निर्धारित किसी एक रूप में देनी होगी तथा निविदा प्राप्ति से 6 माह तक वैद्य होनी चाहिंये, जो कि अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग बागपत के नाम मूल रूप में बन्धक होगी।

(3). बिड डाक्यूमेंट के आई0टी0बी0 के अनुरूप प्रपत्र-मूल में।

10. आई0टी0बी0 के क्लॉज सं0 4.4 बी (सी) (प) के अनुसार कोई भी निविदादाता जिनका सम्बन्धी अथवा उनकी पत्नी का कोई निकट सम्बन्धी (प्रथम रक्त सम्बन्धी अथवा उनकी पत्नी) खण्डीय लेखाधिकारी के रूप में कार्यरत हो अथवा अधीक्षण अभियन्ता स्तर से अवर अभियन्ता स्तर तक (दोनों को सम्मिलित करते हुए) कार्यदायी खण्ड/वृत्त में कार्यरत होगा, वह निविदा डालने के लिये योग्य नहीं होगा। निविदादाता द्वारा यह शपथ पत्र भी दिया जायेगा, जिसमें उसके सम्बन्धियों के नाम तथा उनके पदनाम का उल्लेख होगा, जो कि कार्यदायी खण्ड एवं उससे सम्बन्धित वृत्त में कार्यरत हों।
11. आई0टी0बी0 के क्लॉज सं0 4.4 बी (सी) (पप) के अनुसार कोई राजपत्रित अभियन्ता अथवा राजपत्रित अधिकारी जो कि राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के प्रशासकीय विभाग में कार्यरत हो, सेवानिवृत्ति की अवधि दो वर्ष के बाद तक बिना सरकार के अनुमति के ठेकेदारी के काम के लिये प्रतिबन्धित होंगे। ऐसी स्थिति में यदि यह पाया जाता है कि ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि/कर्मचारी ने निविदा डालने से पहले राज्य सरकार से अनुमति नहीं ली है तो उसका ठेका निरस्त किया जा सकता है। निविदादाता द्वारा इस आशय का :पथ पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
12. निविदा से सम्बन्धित विवरण निविदा डालने हेतु योग्यता एवं पात्रता, ड्राईंग विशिष्टियों मात्राओं का विवरण एवं ठेके की अन्य शर्तों जिनका ठेकेदार द्वारा पालन किया जाना है, को सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में जिसका उल्लेख कॉलम-8 में किया गया है, किसी कार्य दिवस में पूर्वान्ह 10:00 बजे से अपरान्ह 5:00 बजे तक **दिनांक 05.12.2017 से 08.12.2017 तक देखा जा सकता है।**
13. ऐसे निविदादाता जिनका आपराधिक रिकार्ड है, वह टेण्डर प्रक्रिया में भागीदारी नहीं कर सकेंगे।
14. कोई भी निविदादाता जो राज्य विधि कौंसिल में पंजीकृत हो, निविदा देने से प्रतिबन्धित होंगे। (निविदा डालने के योग्य नहीं होंगे।)
15. निविदादाता को निविदा के साथ रू0 100/- का स्टाम्प पेपर रू0 1/- का रसीदी टिकट लगाकर हस्ताक्षरयुक्त संलग्न करना अनिवार्य होगा।
16. प्रत्येक निविदादाता को निविदा के मूल्यांकन हेतु रू0 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रपत्र पर शपथ पत्र ऑनलाईन एवं मूल में देना अनिवार्य है।
17. निविदादाता को प्रत्येक निविदा के लिये सभी सूचनायें निर्धारित प्रारूप पर (टी-4, टी-5) सक्षम अधिकृत हस्ताक्षरी से हस्ताक्षरित कराकर तथा टी-6 आदि मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
18. कार्यस्थल की आवश्यकता के अनुसार मात्राओं में विचलन हो सकता है, जिसके लिये ठेकेदार बाध्य होगा।
19. निविदादाता को परामर्श दिया जाता है कि निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व वास्तविक कार्यस्थल की जाँच कर लेनी चाहिंये।
20. विभाग किसी भी निविदा को कोई कारण बताये बिना अस्वीकृत/निरस्त कर सकता है।
21. विशेष सचिव,उ0प्र0,के शासनादेश संख्या 622/23-12-2012-2/ऑडिट/08/टी0सी0-2 लोक निर्माण अनुभाग 12 लाखनऊ दिनांक 08.06.2012 द्वारा टेन्डर पर 10 प्रतिशत बिलो तक 0.50 प्रतिशत,प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक बिलों दर पर 1.00 प्रतिशत,प्रति 1प्रतिशत कम दर पर सिक्योरिटी/परफोरमेंस गारन्टी ली जायेगी।
22. निविदा सूचना में प्रकाशित कार्यों के लिये डिफैक्ट लाइबिलिटी समयावधि कार्य पूर्ण करने की तिथि से 1 वर्ष तक की होगी।
23. लेबर सैस की कटौती 1 प्रतिशत की दर से ठेकेदार के देयक से की जायेगी एवं इसके अतिरिक्त अन्य करो की कटौती सरकार द्वारा दिये गये दिशा निर्देशो के अनुसार ठेकेदार के देयक से की जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
प्रखण्ड -बागपत।

<u>पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,मेरठ परिमण्डल मेरठ।
2. जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी,बागपत।
3. मा0 सांसद/विधायक,जनपद-बागपत।
4. समस्त सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रखण्ड-बागपत।
5. कैशियर, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रखण्ड-बागपत।
6. कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
7. अनुबन्ध पत्रावली हेतु।

अधिशासी अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,
प्रखण्ड-बागपत।